International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 19-05-2022, Accepted: 03-06-2022, Published: 20-06-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 119-122

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक परिदृश्य का एक अध्ययन

पारुल शर्मा[1], अलका रानी[2]
[1] शोधकर्त्री समाज शास्त्र विभाग मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत
[2] शोध निर्देशका समाज शास्त्र विभाग मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड, भारत

सांराश
यह अध्ययन कार्य अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियो से सम्बन्धित है जो उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जनपद के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् है। प्रस्तत अध्ययन काय में विद्यार्थियों के शैक्षिक परिदृश्य का अध्ययन किया जाना है। भारत में प्रचलित आरक्षण व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था से अलग कर उसे वर्गीय व्यवस्था में बदल दिया है। पहले जो जाति आधारित राजनीति का एक प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर दिखायी देता था। अब उसमें परिवर्तन होकर वर्ग आधारित जातियों की राजनीति शुरू हो गयी है।

मूल शब्दः बिंदुसार पिछड़ा वर्ग, विद्यार्थियो, भारत, जाति

प्रस्तावना
भारत में जातियों को आरक्षण नीति का लाभ देने के लिए विभिन्न वर्गो में विभाजित किया गया है। जैसे– सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियाँ। लेकिन यहाँ पर हम केवल पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों के शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिदृश्य का अध्ययन कर रहे है। भारत में पिछड़े वर्ग की जातियों को आधार मानकर अनेक अध्ययन समय पर होते रहे है। समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र का यह एक मख्य विषय रहा है। राजनीतिशास्त्री जातीय अध्ययनों को अपना विषय क्षेत्र मानते रहे है लेकिन जाति समाजशास्त्र की मलू अवधारणा है तथा समाजशास्त्र में जाति को एक सामाजिक संस्था माना गया है जातीय आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही प्रभावित होती रही है और अभी भी इसका प्रभाव सभी व्यवस्थाओं पर बना हुआ है।

1. **पिछड़ा वर्गः** भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस वर्ग का विशेष ध्यान रखा और उनके संरक्षण तथा विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किये । अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकारी क्षेत्र में कुछ संशोधन किया है। केन्द्र सरकार ने मार्च 2017 में पछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा की। इसके लिए 123 वॉ संविधान संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद अब सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के हित में काम करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एण्ड एजुकेंशनली बैकवर्ड का गठन[9] किया जाएगा। इस फैसले से देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर वाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है। प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्य सूची में अंकित अन्य–पिछड़े वर्ग की जातियों के य ुवक–युवतियों में है।

2. **सामाजिक स्थितिः** किसी भी समाज में सभी व्यक्तियो ं को मिलने वाले अधिकार और कर्त्तव्य एक जैसे नहीं होते।

अध्ययन क्षेत्र परिचय
जनपद हरिद्वार की स्थापना 28 दिसम्बर 1988 को हुई, तब यह जनपद उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल, 1997 को मेरठ मण्डल को विभाजित करते हुए सहारनपुर मण्डल का गठन करकेजनपद हरिद्वार को सहारनपुर मण्डल में शामिल कर दिया था। किन्तु 9 नवम्बर, 2000 को नवोदित राज्य उत्तरांचल के गठन के फलस्वरूप जनपद हरिद्वार को गढ़वाल मण्डल में शामिल कर दिया।[9]

जनपद हरिद्वार का प्रशासनिक ढांचा
जनपद हरिद्वार में तीन तहसीलें–हरिद्वार, रुड़की तथा लक्सर हैं। हरिद्वार तहसील में केवल एक विकासखण्ड बहादराबादतहसील रुड़की तहसील के अन्तर्गत विकासखण्ड– भगवानपुर, नारसन एवं रूड़की तथा लक्सर तहसील के अन्तर्गत दो विकासखण्ड– लक्सर तथा खानपुर आते हैं। जनपद हरिद्वार में नगर एवं नगर समूह 18 नगर निगम 2, नागरपालिका 3, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत 4 तथा सेन्सस टाउन 7 हैं।[10]

जनपद हरिद्वार की जनसंख्या और उसका विवरण
जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1890422 है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1142893 तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 747529 है[10]

जनपद हरिद्वार में साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 73.43 है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 81.04 एवं स्त्रियों में 64.79 है। विकासखण्डवार विश्लेषण करने पर जनगणना 2011 के अनुसार विकासखण्डलक्सर 70.54 साक्षरता प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर विकासखण्ड खानपुर 65.48 साक्षरता प्रतिशत के साथ अन्तिम स्थान पर है। पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत विकासखण्ड लक्सर में सबसे अधिक80.41 प्रतिशत तथा विकासखण्ड खानपुर में सबसे कम 75.38 प्रतिशत है। स्त्रियों में साक्षरता विकासखण्ड बहादराबाद में सबसे अधिक 60.21 प्रतिशत तथा विकासखण्ड खानपुर में सबसे कम 54.53 प्रतिशत है।[10]
जनपद हरिद्वार में 1133 कुल प्राथमिक विद्यालय हैं, राजकीय 671 तथा अशासकीय 462 हैं। जनपद में 779 जूनियर हाईस्कूल हैं, जिनमें 172 राजकीय तथा 607 अशासकीय है। जनपद में 922 हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट शिक्षण संस्थाएँ हैं जिनमें 103 राजकीय, 219 अशासकीय तथा 179 मान्यता प्राप्त निजी संस्थान हैं। जनपद में 9 स्नातक महाविद्यालय हैं जिनमें 2 बालिका विद्यालय हैं। 14 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं, जिनमें 4 बालिका महाविद्यालय हैं। जनपद में प्राविधिक शिक्षण संस्थानों की संख्या 25 है जिनमें 2 शासकीय तथा 23 निजी संस्थान हैं। जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 47 हैं जिनमें 8 शासकीय तथा 39 निजी संस्थान हैं।[10]
सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में सबसे खस्ता हालत प्राथमिक विद्यालयों की है। जिनमें अधिकांश स्कूलों में अध्यापकों की कमी है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार कार्यालय में हरिद्वार जनपद में संचालित किये जा रहे कला , विज्ञानं, विधि, वाणिज्य शिक्षा संकायों में शिक्षा प्रदान कर रहे स्ववित्त पोषित महाविद्यालो की संख्या और सूचि ली गयी और लाटरी प्रणाली से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं शिक्षा संकायों के दो–दो महाविद्यालयों का चयन किया। इन चयनित महाविद्यालयों में सत्र 2020–2021 में अध्ययनरत् के विद्यार्थियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई। इस सूची में से कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि तथा शिक्षा प्रत्येक संकाय से अन्य पिछड़े वर्ग के 40–40 विद्यार्थी लाटरी प्रणाली द्वारा चयनित किए हैं। इस प्रकार यह अध्ययन अन्य पिछड़े वर्ग के के कुल 200 विद्यार्थियों पर आधारित है।

उत्तरदाताओंकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध में कुल 200 उत्तरदाताओं से सूचनाएँ संकलित की गई हैं। इन उत्तरदाताओं को जिन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है उसका विवरण निम्नलिखित है–

तालिका 1: उत्तरदाताओं के चयन को प्रदर्शित करने वाली सारणी

क्रम सं०	संकाय का नाम	चयनित महाविद्यालय का नाम		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कला	1.	फेरूपुर डिग्री कालेज, फेरूपुर	40	20.0
		2.	आशा देई डिग्री कालेज, भोगपुर		
2	विज्ञान	1.	विवेकानन्द कालेज आफ एजूकेशन, रूड़की	40	20.0
		2.	हरीशचन्द्र डिग्री कालेज, लक्सर		
3	वाणिज्य	1.	हिमालयन दून एकेडमी, भगवानपुर	40	20.0
		2.	बाबू राम डिग्री कालेज, सालियर		
4	विधि	1.	बी०एस०एम० लॉ कालेज, रूड़की	40	20.0
		2.	अमृत लॉ कालेज, धनौरी		
5	शिक्षा	1.	गुरुकुल महाविद्यालय, हरिद्वार	40	20.0
		2.	हर्ष विद्या मन्दिर, रायसी		
कुल योग				200	100.0

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से कला संकास में 40 (20.0 प्रतिशत), विज्ञान संकाय के 40 (20.0 प्रतिशत), वाणिज्य संकाय ने 40 (20.0 प्रतिशत), विधि संकाय ने 40 (20.0 प्रतिशत) तथा शिक्षा संकाय के 40 (20.0 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी तथा प्रदत्त सुविधाएँ

अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं से सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई भिन्न–भिन्न सुविधाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया है। सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को प्राप्त करने में उन्हें क्या–क्या कठिनाइयाँ होती हैं? वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के प्रति उनके विचार क्या हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? शोधार्थिनी ने ऐसे ही अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर विद्यार्थियों के विचारों को जानने का प्रयास किया है–

तालिका 2: उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत
पता है	177	88.5
पता नहीं	23	11.5
कुल योग	200	100.0

सारणी संख्या 2 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से 177 (88.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में पता है। शेष 23 (11.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में पता नहीं है।

तालिका 3: उत्तरदाताओं का निवास स्थान के आधार पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की जानकारी का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उत्तरदाताओं का निवास स्थान				कुल योग	
	ग्रामीण क्षेत्र में		नगरीय क्षेत्र में			
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
पता है	81	81.0	96	96.0	177	88.5
पता नहीं	19	19.0	04	4.0	23	16.5
कुल योग	100	50.0	100	50.0	200	100.0

सारणी संख्या 3 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुल 100 उत्तरदाताओं में से 81 (81. 0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तिके बारे में पता है जबकि 19 (19.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का पता नहीं है।
नगरीय क्षेत्र में रहने वाले कुल 100 उत्तरदाताओं में से 96 (96.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का पता है, जबकि 4 (4.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में पता नहीं है।

तालिका 4: उत्तरदाताओं को सरकारद्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा की जानकारी का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	कुल योग	
	कुल	प्रतिशत
पता है	151	75.5
पता नहीं	49	24.5
कुल योग	200	100.0

सारणी 4 का विश्लेषण करने पर ज्ञात हाता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से 151 (75.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता है। शेष 49 (24.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता नहीं हैं।

तालिका 5: उत्तरदाताओं को निवास स्थान के आधार पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा की जानकारी का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उत्तरदाताओं का निवास स्थान				कुल योग	
	ग्रामीण क्षेत्र में		नगरीय क्षेत्र में			
	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
पता है	69	69ण्0	82	82ण्0	151	75ण्5
पता नहीं	31	31ण्0	18	18ण्0	49	24ण्5
कुल योग	100	50ण्0	100	50ण्0	200	100ण्0

उपरोक्त सारणी का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुल 100 उत्तरदाताओं में से 69 (69. 0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता है, जबकि 31 (31.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता नही है।
नगरीय क्षेत्र में रहने वाले कुल 100 उत्तरदाताओं में से 82 (82.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता है, जबकि 18 (18.0 प्रतिशत) को सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रावास की सुविधा का पता नहीं है।

निष्कर्ष

भारत की कुल जनसंख्या का एक अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाता रहा है। जातीय संस्तरण में इन्हें उच्च जातीय लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा गया है। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा इनके ऊपर ढेर सारी निर्योग्यतायें थोप दी गईं। इन सुविधाओं का मूल उद्देश्य इन जातियों की विभिन्न निर्योग्याताओं का निराकरण करके उन्हें समाज का एक सामान्य अंग बनाना था। चूँकि अभीष्ट उद्देश्य को मूर्त रूप देने में इन जातियों की अशिक्षा प्रमुख व्यवधान थी, अतः इस बात पर अधिक बल दिया गया कि इन जातियों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा किया जाऐ। इनके लिए शिक्षा व्यवस्था में किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के कारण अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव से वे जीवन के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में जनपद हरिद्वार के स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग विद्यार्थियों का अध्ययन करने की चेष्टा की गयी है।

सन्दर्भ

1. भारत की जनगणना 2011, उत्तराखण्ड श्रंखला 6 (2015): जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. चौहान, बी0आर0 (1955): "रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एमंग डिप्रेस्ड क्लासेज इन राजथान", आगरा यूनिवर्सिटी जनरल ऑफ रिसर्च, वाल्यूम
3. भारत का संविधान (1998): सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
4. अग्रवाल, गोपाल कृष्ण (2006) : मानव समाज एवं समाजशास्त्रीय अवधारणऍ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यटूर्स, आगरा।
5. लियोन्तियोव, एम0 (1974): राजनितिक अर्थशास्त्र, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0, नई दिल्ली।
6. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार विनारक अधिनियम–1989, नई दिल्ली, भारत सरकार।
7. अम्बाराव, यू० (1976) : हायर एजूकेशन एण्ड ओक्यूपेशनल मोबिलीटी अमंग दा शेड्यूल्ड कास्ट यूथ, *जर्नल आफ हायर एजूकेशन, (वाल्यूम 6, नं० 1–3)*, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
8. अलैग्जैण्डर, के०सी० (1968) : चेंजिंग स्टेटस आफ पुलिया हरिजन्स आफ केरला, दिल्ली, *इकनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, (वाल्यूम 3)*, बम्बई, समीक्षा ट्रस्ट।
9. गांधी, महात्मा (19 जनवरी, 1921) : नवजीवन, समाचार पत्र, नई दिल्ली, दा एसोशिएटेड जरनल लिमिटेड।
10. गांधी, महात्मा (4 मई, 1921) : यंग इण्डिया,समाचार पत्र, नई दिल्ली, दा एसोशिएटेड जरनल लिमिटेड।